निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–30/2020
दायरा दिनांक :–02.03.2020
निर्णय दिनांक :– 16.8.22

उनवान

ललिता बाई आयु 40 साल पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी ग्राम तुलसां तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. छोटी बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी ग्राम तुलसां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. गीता बाई पत्नी श्री गिर्राज जाति माली निवासी ग्राम तुलसां तहसील बारां जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.8.22
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी–वादी

अभिभाषक वादीया द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टी0 एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम तुलसां तहसील बारां जिला बारां राजस्थान हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.11 है0 व जाव द्वितीय 0.02 है0 लगानी क्रमशः 396 व 0.36 रूपया खसरा नम्बर 858 रकबा 0.11 है0 किस्म चाही द्वितीय है0 लगानी 3.96 रूपया खसरा नम्बर 869 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.10 है0 व जाव द्वितीय 0.02 लगानी क्रमशः 3.60 व 0.36 रूपया, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.11 है0 किस्म जाव द्वितीय रकबा 0.07 है0 व चाही द्वितीय 0.04 है0 लगानी क्रमशः 1.26 व 1.44 रूपया कुल 4 किता कुल रकबा 0.47 है0 स्थित है उक्त आराजियात वादीया व प्रतिवादीया कमांक 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संख्या 2073 से 2076 से होती है। वादीया द्वारा वाद पत्र की मद नम्बर 1 में अंकित आराजियात के 1/2 हिस्सा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रम पत्र दिनांक 04.07.2002 को खातेदार मोहन लाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी तुलसां तहसील, बारां से खरीद किया था। जिसमें डीडराईटर द्वारा सहवन से वादीया का नाम ललिता बाई पत्नि श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) के स्थान पर छोटी बाई पत्नि श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तहसील बारां दर्ज कर दिया। इस कारण उक्त विक्रय पत्र की पालना में इन्तकाल तस्दीक होते समय वादीया का नाम ललिता बाई पत्नी श्री रामदयाल माली (सुमन) निवासी तहसील, बारां जिला बारां के स्थान पर छोटी बाई पत्नी श्री रामदयाल माली (सुमन) निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां दर्ज हो गया। जबकि वादीया का नाम ललिता बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसां तहसील, बारां जिला बारां है। जो वादीया के आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में दर्ज है। जिनकी प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ललिता बाई के स्थान पर छोटी बाई दर्ज होने से वादीया उक्त आराजियात पर के0सी0सी0 बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है तथा बैकों द्वारा वादीया का नाम आधार कार्ड भामाशाह कार्ड से मिलान ना होने के कारण के0सी0सी0 बनाने से साफ मना कर दिया। इस कारण वादीया को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये न्यायहित राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में वादीया का नाम छोटी बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां के स्थान पर ललिता बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसां तहसील, बारां जिला बारां दर्ज करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है। वादीया ने दिनांक 20.04.2018 को प्रतिवादी क्रमांक 3 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटी बाई के स्थान पर आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड के अनुसार ललिता बाई दर्ज करने की कहने व प्रतिवादी द्वारा मना करने पर दिनांक 20.04.2018 को तुलसां तहसील बारां में अन्तिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादीया ने अपने अधिवक्ता द्वारा राजस्थान सरकार को धारा 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत वैद्यानिक नोटिस दिनांक 24.04.2018 को दिला दिया है जो उन्हें प्राप्त हो गया है। वादीया का नाम गलत दर्ज होने से के0सी0सी0 जारी न होने से वादीया ऋण लेने में काफी दिक्कत आ रही है तथा वादीया को ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे वादीया अपने काश्तकारी कार्य में सुधार नहीं कर पा रही है, इसलिये वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस मियाद समाप्ति से पूर्व ही माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः धारा 80 (2) जा0दी0 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत है। ग्राम तुलसां तहसील बारां जिला बारां राजस्थान हाल आराजी खसरा नम्बर 857 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.11 है0 व जाव द्वितीय 0.02 है0 लगानी क्रमशः 396 व 0.36 रूपया खसरा नम्बर 858 रकबा 0.11 है0 किस्म चाही द्वितीय है0 लगानी 3.96 रूपया खसरा नम्बर 869 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही द्वितीय रकबा 0.10 है0 दृ जाव द्वितीय 0.02 है0 लगानी क्रमशः 3.60 व 0.36 रूपया, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.11 है0 किस्म जाव द्वितीय रकबा 0.07 है0 व चाही द्वितीय 0.04 है0 लगामी कमशं 1.26 व 1.44 रूपया कुल 4 किता कुल रकबा 0.47 है0 के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में वादीया का नाम आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड के अनुसार के छोटी बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसां तहसील बारां जिला बारां दर्ज फरमाये जाने क आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसां सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 54, फोटो प्रति ललिता बाई, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड पेश किया गया। साक्ष्य वादी में ललिता बाई व भीमराज का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसां में स्थित है। विवादित आरजी वादिया व प्रतिवादिया क्रम–2 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। वादिया का वास्तविक नाम ललिता बाई है परन्तु रिकार्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम छोटीबाई दर्ज कर दिया है। वादिया के अन्य दस्तावेजात में ललिता बर्ठ दर्ज है। वादिया को बचपन में छोटी के नाम से पुकारते थे। इसलिए वादिया का नाम ललिता बाई के स्थान पर छोटी बाई दर्ज कर दिया है। वादिया द्वारा इस संबंध में भीमराज के बयान करवाये है तथा प्रतिवादिया क्रम द्वारा भी इकवाली जवाब पेश किया है। वादिया का नाम छोटी बाई के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसां सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 54 के अनुसार गीताबाई पत्नी गिर्राज एवं छोटी बाई पत्नी रामदयाल शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम ललिता बाई है। फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में वादिया का नाम ललिता बाई दर्ज है जबकि राजस्व जमाबन्दी में छोटी बाई दर्ज है। वादिया अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छोटी बाई के स्थान पर ललिता बाई दुरूस्त करवाना चाहती है। वादिया का वाद स्वीकार कर छोटी बाई के स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छोटी बाई उर्फ ललिता बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम तुलसां के खाता संख्या 54 में कुल खसरा नम्बर 4 किता रकबा 0.47 है0 में दर्ज छोटी बाई के स्थान पर छोटी बाई उर्फ ललिता बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

...उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...संख्या 30/20	धारा अंतर्गत 88, 89 RTA 136 R.act	निर्णय दिनांक 16.8.22
...क्ष - श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हरिमोहन चतुर्वेदी एड.	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

ललिता बाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी मौजा तुलसां तह० बारां जिला बारां

बनाम

1. छोटीबाई पत्नी श्री रामदयाल जाति माली (सुमन) निवासी तुलसा तह. बारां
2. गीताबाई पत्नी श्री गिर्राज जाति माली निवासी तुलसां तह० बारां
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके मौजा तुलसां के खाता सं. 54 में कुल खसरा नम्बर पाकिता रकबा 0.47 हे० में दर्ज छोटीबाई के स्थान पर छोटीबाई दर्ज ललिताबाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16.8.22 को निर्गत किया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी बारां)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.03.03 12:43:02 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुसूची

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner